द इजलास ... आर०ए०एस उपखण्ड अधिकारी कामां

प्रकरण नं0 07/2023
राजरानी पत्नि पृथ्वीराज जाति स्वर्णकार निवासी कस्बा कामां तहसील कामां जिला डीग
प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (डीग)
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

# निर्णय

दिनांक :— 27.09.2023

प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि खाता संख्या 380 आराजी खसरा संख्या 22/0.25, 37/0.30, 46/0.30 81/0.01, 82/0.01, 83/1.02, हैक्टर वाके ग्राम छिछरवाडी तहसील कामां मे स्थित है । उक्त आराजी भूमि प्रार्थीया ने जरिये बयनामा दिनांक 15.5.2019 व 27.5.2019 को विकेतागण राजवीर पुत्र तुलेराम व राजेश पुत्र तुलेराम जाति माली निवासी ग्राम छिछरवाडी तहसील कामां का उक्त आराजी के 1/2 1/2 हिस्सा को खरीद किया था जिसका प्रार्थीया ने नामान्तकरण संख्या 2346 व 2348 से अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे सही नाम दर्ज कर नामान्तकरण स्वीकार करा लिया था जो सही था लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियो द्वारा सहवन भूल से प्रार्थी के पति पृथ्वीराज की जगह तुलेराम दर्ज रिकार्ड कर दिया जो गलत है । जबकि प्रार्थीया द्वारा कराये गये नामान्तकरण संख्या 2346 व 2348 मे प्रार्थीया के पति का नाम पृथ्वीराज जाति स्वर्णकार दर्ज रिकार्ड है जो सही है । उक्त आराजी का प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2069 व 2072 के खाता संख्या 156 मे नामान्तकरण संख्या 2346 व 2348 के आधार पर अपने नाम अमल मे आ गया जो सही था परन्तु उक्त आराजी का आगामी जमाबन्दी सं0 2074 से 2077 की जमाबन्दी मे पूर्व के खातेदार राजवीर पुत्र तुलेराम व राजेश पुत्र तुलेराम जाति माली निवासी छिछरवाडी हाल जमाबन्दी मे दर्ज है । जिसे भी प्रार्थीया सही शुद्ध कराना चाहती है । जो सही है और न्याय संगत है ।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जावे कि प्रार्थीयाके पति का गलत नाम तुलेराम के स्थान पर सही नाम पृथ्वीराज को शुद्ध किया जावे व प्रार्थीया का नाम पूर्व जमाबन्दी सं0 2069–2072 के खाता संख्या 156 के आधार पर राजरानी पत्नी पृथ्वीराज को सं0 2074 से 2077 की हाल जमाबन्दी में गलत नाम राजवीर व राजेश पुत्रगण तुलेराम जाति माली की जगह प्रार्थीया का सही नाम दर्ज रिकार्ड कर जमाबन्दी में दर्ज कर किये जाने के आदेश फरमाये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । तहसीलदार कामां ने अपने पत्रांक/एल0आर0/2023/932 दिनांक 1.6.2023 के द्वारा प्रार्थीया राजरानी पत्नि पृथ्वीराज जाति स्वर्णकार निवासी कस्बा कामां ने ग्राम छिछरवाडी के नामान्तकरण संख्या 2346, 2348 का अमल दरामद कराना चाहते हैं । तथा राजरानी पत्नि बुलेराम के स्थान पर राजरानी पत्नि पृथ्वीराज जाति स्वर्णकार शुद्धि वास्ते पटवारी हल्का छिछरवाडी की राजस्व रिकार्ड अनुसार रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :–

यह है कि ग्राम छिछरवाडी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संख्या 2069–2072 में आराजी खसरा नम्बर 14/0.25, 27/0.30, 34/0.30, 72/1.04, व 503/1/0.02 दर्ज रिकार्ड है । उक्त आराजी बल्देव हि0 52/615, रहीसन हि0 26/615 भगवानसिंह हि01/12 यानि कुंल हिस्सा 517/2460 जरिये बयनामा पत्नि पृथ्वीराज जाति स्वर्णकार ने क्रय किया था । जिसमें राजस्व रिकार्ड में अमल करते समय राजरानी पत्नि पृथ्वीराज के स्थान पर राजरानी पत्नी तुलेराम दर्ज हो गया है । राजरानी पत्नि पृथ्वीराज जाति स्वर्णकार द्वारा इन्तकाल संख्या 2346, 2348 से राजेश का हि0 1/2 व राजवीर का हि0 1/2 यानि कुल 1/6 हिस्सा क्रय किया गया था । जिसका जमाबन्दी सं0 2074–77 में अमल नहीं किया गया है ।

यह है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संख्या 2069–2072 के खाता संख्या 156 पर आराजी खसरा नम्बर 14, 27, 34, 72, 503 /1 पर रहनवय मुन्तकिल न करने का नोट अंकित है ।

... अधिकारी